

निर्वाचन का संचालन नियम 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)  
प्रारूप-24 क  
(नियम 85 ख देखिए)

यह प्रारूप आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आयकर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनैतिक दल का नाम **दक्षिण भारत संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी**
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यता प्राप्त / अमान्यता प्राप्त) **अमान्यता प्राप्त**
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता **वडांरानगर तात्पपार, कड रतुए**
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख **29-12-2008**
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आयकर वार्ड / सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है **AA BT C 0521 F**  
**मु. वि. प.**
- वित्तीय वर्ष **2011-2012** के दौरान प्राप्त अभिदायों के जो बीस हजार रूपये से अधिक हैं, ब्यौरे-

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति / कंपनी का नाम और पता	पैन (यदि कोई हो) और आयकर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति/ (चेक/मांग देय ड्राफ्ट/नकद)	टिप्पणियां
1	X	X	X	X	बोली

- बैंक / मानदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक / मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1958 (1958 का 1) की धारा 239 क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है ( कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

**सत्यापन**

मैं, **अजयेश कुमार वर्मा** (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री **सत्यनिष्ठा** से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्रारूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।  
मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से **अजयेश कुमार वर्मा** की अपनी हैसियत में इस प्रारूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

तारीख : **22.07.2020**  
स्थान : **रायपुर**

**अजयेश कुमार वर्मा**  
(कोषाध्यक्ष/प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)